न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी।

क्रमांक : 61 दिनांक : 01.09.2026

:: कार्यालय आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) एवं 450(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मैं हर्ष कुमार, (आर.जे.एस), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी** निम्नवत् आदेश पारित करता हूं कि माह **सितंबर 2026** के निम्नांकित राजकीय अवकाशों में फलोदी जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, प्रोटोकॉल, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना–पत्र एवं अन्य) को निम्नानुसार अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निष्पादित किया जाएगा :–

क्रं सं	अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक
1	श्री जितेन्द्र कुमार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–01 फलोदी	04.09.2026
2	श्रीमती गरिमा चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहावट	06.09.2026
3	श्री महेन्द्र कुमार मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप	12.09.2026 व 13.09.2026
4	सुश्री देवयानी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी	20.09.2026 व 21.09.2026
5	श्रीमती सुप्रभा देवल अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, फलोदी	26.09.2026 व 27.09.2026

निर्देश :–

1. रिमाण्ड बाबत् एवं अन्य आवेदन यथासंभव समय 11.00 एएम से 02.00 पीएम के मध्य प्रस्तुत किया जावे।

2. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।

3. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।

4. नियत किए गए दिवस को यदि आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें तो कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

01.09.26

5. उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले मामले अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/लिंक अधिकारी यदि मुख्यालय पर उपलब्ध हो तो आवश्यक प्रकृति के उपरोक्त कार्य करने हेतु इस आदेश से बाधित नहीं रहेंगे।

6. ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी विशेष परिस्थितियों में ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

(हर्ष कुमार) 01.09.26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फलोदी।

क्रमांक : स्टेनो/2026/85-99 दिनांक : 01.09.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, फलोदी।
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, फलोदी।
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01/02, फलोदी।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी/लोहावट/बाप
5. अध्यक्ष बार एसोसिएशन, फलोदी/लोहावट/बाप।
6. पुलिस अधीक्षक, फलोदी को अपने अधीनस्थ समस्त थानों/अनुसंधान अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
7. अभियोजन अधिकारी, फलोदी/बाप/लोहावट।
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, फलोदी को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली।

(हर्ष कुमार) 01.09.26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फलोदी।